बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 347232 पटना, दिनांक:- 09/01/18

R.11019/185/2009-Sec07

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों पर 'लोगो' लगाने के संबंध में ।**

प्रसंग :- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक-J-11014/01/2016-RH दि0-23.11.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निरीक्षण के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों पर 'लोगो' (प्रतीक चिन्ह) नहीं रहने के कारण आवासों को पहचानने में समस्या उत्पन्न होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों पर 'लोगो' लगाने का निदेश दिया गया है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का 'लोगो' योजना के वेबसाईट http://pmayg.nic.in/netiay/images/pmay-g-logo.png पर उपलब्ध है । प्रत्येक आवास का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निरीक्षण के क्रम में आवास सॉफ्ट पर अपलोड किये जाने हेतु ग्रामीण आवास सहायक द्वारा आवास का फोटो खींचने के पहले लाभुक द्वारा स्वयं आवास की पहचान हेतु सामने की दीवार पर योजना के 'लोगो' के साथ आवश्यक सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करना है ।

अत: प्रासंगिक पत्र की प्रति एवं 'लोगो' का नमूना संलग्न करते हुए अनुरोध है कि योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों के विनिर्दिष्ट स्थान पर PMAY-G का 'लोगो' (प्रतीक चिन्ह) के साथ निम्न सूचना दर्ज करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय :-

(1) लाभार्थी का नाम
(2) पिता/पति का नाम
(3) कोटि
(4) स्वीकृति का वर्ष
(5) गांव का नाम, प्रखण्ड एवं जिला
(6) कुल खर्च राशि
(i) सहायता राशि (ii) स्वयं की राशि (iii) कुल राशि

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
8.1.18
(राहुल रंजन महिवाल)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 347232 पटना, दिनांक 09/01/18

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

8.1.18
सरकार के विशेष सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 1813 B.doc

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण

Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

(1) लाभार्थी का नाम

(2) पिता/पति का नाम

(3) कोटि

(4) स्वीकृति का वर्ष

(5) गांव का नाम, प्रखण्ड एवं जिला

(6) कुल खर्च राशि

- (i) सहायता राशि :-
- (ii) स्वयं की राशि :-
- (iii) कुल राशि :-